भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्‍वास्‍थ्‍य और परिवार कल्‍याण विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या **:** **919**

**28** जुलाई, 20**1**5 को पूछे जाने वाले प्रश्‍न का उत्‍तर

**आयातित चिकित्सा उपकरणों की जांच के लिए प्रयोगशालाएं**

**919.** **श्री बैष्णव परिडा:**

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत के पास देश में विदेश से आयातित चिकित्सा उपकरणों की जांच के लिए प्रयोगशालाएं नहीं है;

(ख) यदि हां, तो इसके कारणों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या देश में विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए इस तरह की प्रयोगशालाएं स्थापित करने का अब प्रस्ताव किया गया है जिसे वाणिज्य मंत्रालय द्वारा वित्तपोषित किया जाएगा, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद यसो नाईक)

1. और (ख): वर्तमान में चिकित्सा उपकरणों का निम्न प्रयोगशालाओं में परीक्षण किया जाता है:
	1. राष्ट्रीय बायोलॉजिकल संस्थान, नोएडा – नैदानिक उपकरण जैसे एचआईवी, एचबीएजी और एचसीवी के परीक्षण हेतु;
	2. केंद्रीय औषधि परीक्षण प्रयोगशाला, मुम्बई – अंतर्गर्भाशीय उपकरणों जैसे सीयू-टी व ट्यूबलर रिंग्स जो कि औषधि व सौन्दर्य प्रसाधन अधिनियम, 1945 की अनुसूची आर में शामिल हैं; और
	3. केंद्रीय औषधि परीक्षण प्रयोगशाला, चेन्नई – कंडोम परीक्षण हेतु।

(ग): स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की वर्तमान में प्रमुखता मौजूदा प्रयोगशालाओं का सुदृढ़ीकरण है। तथापि, जब आवश्यक होता है, वाणिज्य विभाग द्वारा निर्यात योजना के अवसंरचनात्मक विकास हेतु राज्यों को केंद्रीय सहायता के तहत चिकित्सा उपकरणों व नैदानिक साधनों हेतु सामान्य परीक्षण प्रयोगशालाओं की स्थापना में भी सहायता दी जाती है।

\*\*\*